GOVT. OF NCT OF DELHI
BEFORE THE COMMISSIONER EMPLOYEE'S COMPENSATION/
DY. LABOUR COMMISSIONER
LABOUR DEPARTMENT (EAST & NORTH EAST DISTRICT)
VISHWAKARMA NAGAR, JHILMIL COLONY, DELHI-110095

Ref. o. DLC/E&NE/Com./05/2021
No.F. CEC-D/ED/30/2021 Dated:

In the matter of
Smt. Pappi Devi W/o Late Sh. Subhash Chand Jatav .. Claimant/Complainant
V/s
Sh. Pawan Kumar Dhanda Builder &
Sh. Ram Singh Contractor .. Respondents

दिनांक 12.10.2021
शिकायत कर्ता की तरफ से :श्री अरविन्द कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
प्रबंधक की तरफ से : अनुपस्थित।

कार्यवाही सहित आदेश

मामले की चर्चा की गई :

पप्पी द्वारा लिखित शिकायत 10.02.2021 जो श्रम विभाग मुख्यालय, डायरी सख्ंख्या 1579/एल.सी. दिनांक 15.02.2021 से इस कार्यालय में 18.02.2021 को प्राप्त हुई है, शिकायत मिलने के पश्चात् पुलिस वैरिफिकेशन साईट से स्वंय ही एफ.आई.आर. नं 0352 दिनांक 12.09.2020 निकाली गई। तत्पश्चात दिनांक 08.03.2021, 24.03.2021, 12.04.2021, 02.07.2021, 27.07.2021 को एस.एच.ओ. अमर कॉलोनी पूर्वी साउथ, दिल्ली को इस कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया जिसमे उन्हें ई.ए. आर. दाखिल करने के लिए कहा गया जिससे वास्तविक क्षतिपुति मुआवजा दिया जा सके।

दिनांक 12.08.2021 को श्री अरविन्द कुमार इस कार्यालय में आए और एक अधिकार पत्र की प्रति दाखिल की। दिए गए नोटिस पर दिनांक 12.10.2021 को श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र निवासी गांव बिछन्द पोस्ट परौली सुहागपुर बिच्छन्दपहाडपुर, एटा, 207249 दिए गए नोटिस पर पहूंचे और उन्होने कहा कि मैं मृतक श्री सुभाष चन्द जाटव का चचेरा भाई हूं, और मैने यह शिकायत पहले पुष्प विहार में लगाया हुआ है।

पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह शिकायत पुष्प विहार जिले से संबंधित है।

चूंकि यह मृतक के चचेरे भाई के कथनानुसार यह मामला उपश्रमायुक्त दक्षिण जिले में पहले से ही लम्बित है। तथा एक ही मामला दो जगह पर न्याय निर्णय हेतू लम्बित नहीं रखा जा सकता । अतः इस मामले को बन्द किया जाता है तथा अधिकृत प्रतिनिधि को सलाह दी जाती है कि वह यह मामला उपश्रमायुक्त दक्षिण जिले में पहले से लम्बित मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए उपस्थित हों।

मेरे हाथ और मुहर के नीचे दिनांक 12.10.2021 को हस्ताक्षर किए जाते है।

12.10.21

(के.एम. सिंह)
उपश्रमायुक्त पुर्वी एवं
उत्तरी पूर्वी जिला /
आयुक्त, कर्मकार क्षतिपुर्ति